

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

सहायक कलक्टर (F.T.) वाडमेर





उदाराम

बनाम

हडुमानराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन, अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

नं. 89/ सन 2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.06.24	<p>प्रार्थी उदाराम की ओर से वकील श्री नृसिंह सोलंकी द्वारा यह आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण की ईकतरफा बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण जरिये नॉटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 11.07.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वाडमेर </p>	<p>4259 24/6/24</p>
11/7/24	<p>सहायक फरीकन उप-धीठारीन अधिकारी का आदेश पर पधार है। पत्रावली दिनांक 11/7/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
29/8/24	<p>सहायक फरीकन उप-धीठारीन अधिकारी का आदेश पर पधार है। पत्रावली दिनांक 29/8/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
12/08/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अपार्थीसे, 01 से 08 व 10 से 19 उप.। चूंकि मूलवाद में प्राथमिक निर्णय जारी किया जा चुकी है अतः यह आवेदन-पत्र चलाने का कोई अर्थ नहीं है। लिहाजा यह आवेदन-पत्र</p>	

जोषणीय ग्रंथिं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली कुंमल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर सेडम
हो। सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाइमेर

PS-50-11

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)

PS-50-11

PS-50-11